न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या–122/2011–12

महन्त आशुतोष पुरी, महन्त गोविन्द पुरी, पुत्र स्व0 ओम प्रकाश पुरी, कमलेश्वर मन्दिर मठ कमलेश्वर मन्दिर, श्रीनगर गढ़वाल, तहसील, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. पुनर्वास निदेशक, निदेशालय, टी0एच0डी0सी0 टिहरी गढ़वाल।
2. कलेक्टर/भू अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।

–विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा 219 भू राजस्व अधिनियम।
बावत
कमलेश्वर मन्दिर, श्रीनगर गढ़वाल, तहसील श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल।

आदेश

यह निगरानी आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा अपील संख्या 04 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22 मई, 2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के आदेश दिनांक 22.05.2013 को निरस्त करते हुए निगरानीकर्ता के विरूद्ध जारी वसूली प्रमाण पत्र निरस्त करने का अनुतोष प्रदान करने की याचना की गयी है।

सूक्ष्म में मामला यह है कि कमलेश्वर मन्दिर मठ की भूमिधरी सम्पत्ति जिला टिहरी गढ़वाल में स्थित थी जिसका अधिग्रहण टिहरी बांध परियोजना के प्रयोगार्थ किया गया था। निगरानीकर्ता द्वारा बताया गया है कि अधिग्रहीत सम्पत्ति हेतु निर्धारित प्रतिकर तत्समय कमलेश्वर मन्दिर के पीठासीन महन्त को प्राप्त हो चुका था। निगरानीकर्ता द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि कलेक्टर टिहरी गढ़वाल ने जिला भूमि अर्जन अधिकारी के रूप में पत्र संख्या 1276 दिनांक 10 अगस्त, 2011 कलेक्टर, पौड़ी को लिखा जिस द्वारा उन्होंने यह अवगत कराया कि पुराने टिहरी शहर के वार्ड संख्या 07 में स्थित महन्त श्री कमलेश्वर मन्दिर श्रीनगर, गढ़वाल की सम्पत्ति के प्रतिकर का भुगतान त्रुटिपूर्ण रूप से महन्त श्री आशुतोष पुरी, कमलेश्वर मन्दिर, (श्रीनगर गढ़वाल) के पूर्वाधिकारी को किया गया था जबकि प्रतिकर का भुगतान जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल जो श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मन्दिर के व्यवस्थापक/प्रशासक हैं को भुगतान किया जाना चाहिए था। पत्र द्वारा कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल से अपेक्षा की गयी थी कि महन्त श्री आशुतोष पुरी कमलेश्वर मन्दिर

(श्रीनगर गढ़वाल) से ₹ 4,78,326.07 की धनराशि मालगुजारी के बकाया की भांति नियमानुसार वसूली कर पत्र में उल्लिखत लेखाशीर्षक में जमा कराई जाये। पत्र को देखने से विदित होता है कि कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल ने जिला भूमि अर्जन अधिकारी के रूप में यह पत्र पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना (जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल) के आदेश के अनुपालन में लिखा है। निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल किये गये कागजात से विदित होता है कि तहसीलदार श्रीनगर (जिला पौड़ी गढ़वाल) ने महन्त आशुतोष पुरी को उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 280 के अन्तर्गत उपस्थिति–पत्र जारी किया है जिससे विदित होता है कि जिला भूमि अर्जन अधिकारी टिहरी गढ़वाल के अनुरोध पर कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल ने मालगुजारी के बकाया की भांति वसूली की कार्यवाही निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रारंभ कर दी है जो वर्तमान में भी अग्रसर है।

मेरे द्वारा उपरोक्त निगरानी को स्वीकार करने के संबंध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि इस निगरानी में कलेक्टर, पौड़ी गढ़वाल को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि निगरानीकर्ता के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल द्वारा की जा रही है। भूमि संबंधी सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों को देखने से स्पष्ट होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तथा उस कलेक्टर को भेजा जाता है जहां बकायादार निवासरत है तो ऐसा कलेक्टर जिसके अधिकार क्षेत्र में बकायेदार सामान्यतया उपस्थित रहता है, का दायित्व है कि वह वसूली करे। ऐसी स्थिति में जहां स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी ने वसूली प्रमाण पत्र जारी किया हो उस कलेक्टर को जो वसूली कर रहा है यह शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह वसूली की धनराशि के औचित्य के संबंध में कोई विवेचना करे अथवा वसूली की धनराशि की देयता के संबंध में कोई विवाद प्रकट होने पर अपने स्तर से वसूली स्थगित करे अथवा वसूली की कार्यवाही समाप्त करे।

प्रस्तुत मामले में वसूली प्रमाण पत्र पुनर्वास निदेशक, टी0एच0डी0सी0 (जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल) के निर्देशन पर जिला भूमि अर्जन अधिकारी टिहरी गढ़वाल(कलेक्टर टिहरी गढ़वाल) द्वारा जारी किया गया है। अतः यदि निगरानीकर्ता के विपरीत उक्त प्राधिकारियों द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करने में कोई त्रुटि की गयी हो तो उसका सुधार इन प्राधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है। अधिक स्पष्टता हेतु यह उदाहरण दिया जा सकता है कि यदि किसी बैंक द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी ऋणग्रहिता द्वारा नहीं की जाती है और बैंक अन्ततः वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने को मजबूर हो जाता है तो बैंक द्वारा ऐसा वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने में कोई त्रुटि की गयी हो अथवा बैंक द्वारा ऋण ग्रहिता द्वारा की गयी अदायगी का अपने लेखा–जोखा में पूर्णतः समायोजन न किया गया हो तो ऐसी स्थिति में स्पष्टतः उस बैंक के द्वारा ही वसूली प्रमाण पत्र को वापस लिया जा

सकता है अथवा संशोधित किया जा सकता है जिस बैंक ने वसूली प्रमाण पत्र जारी किया था तथा उस कलेक्टर द्वारा वसूली के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जिस कलेक्टर को वसूली हेतु उक्त वसूली प्रमाण पत्र दिया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में वसूली करने वाले कलेक्टर अर्थात् कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल द्वारा की जा रही वसूली की कार्यवाही के संबंध में निगरानी में कुछ नहीं कहा गया है जिसका अर्थ यह है कि वसूली करने वाले कलेक्टर द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। जो अनुतोष निगरानीकर्ता चाहता है वह पुनर्वास निदेशक टी0एच0डी0सी0 अथवा जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा दिया जा सकता है परन्तु इस निगरानी के माध्यम से इन प्राधिकारियों को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। फलतः यह निगरानी अन्तर्गत धारा 219 भू–राजस्व अधिनियम पोषणीय नहीं होने के कारण स्वीकार नहीं की जाती है।

(एस0के0 मुद्दू)
अध्यक्ष। 16/7/2013